न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

चन्द्रभान वगैरह बनाम् रिछपाल वगैरह

प्रकरण संख्या 08/2026

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

जी.सी.एम.एस नं.–2026/22

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
03-02-2026	आज यह पत्रावली प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेशी हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता हैं तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके **चक 3 के ए एम का मु.नं.–65 प.नं.–246/487 का किला नं.–1 ता 25 कुल भूमि 6.325 हैक्टर** अकमाण्ड कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीगण के हिस्से तक **रिकॉर्ड की यथास्थिति** बनाकर रखें। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए.डी. के पेश करे। रजि. ए.डी. नोटिस की पोस्ट ऑफिस रसीदे पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर स्वतः निरस्त मानी जावेगी। बहस हेतु अवसर चाहने पर उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने का विचार किया जा सकेगा। पत्रावली आईन्दा **दिनांक 23.02.2026** को पेश हो। Sd/- सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
23/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी के उपि० उप० – नोटिस पेश किया शामिल मिसल रहे। पत्रावली दिनांक 16/3/26 को पेश हो। Sd/-	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.06 11:02:39 IST
Reason: SelfAttested

E:\Reader\Stay-2026

16/3/26	पत्रावली प्रस्तुत पूर्व आदेशानुसार की पालना में दिनांक 16/4/26 को पेश हो। [signature]
30/3/26 बुद्धराम [illegible] तुलसाराम रविकुमार S. by [illegible] [signature] 30/3/2026 (योगेश कुमार [illegible])	आज यह पत्रावली नकल प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। नकल प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित करना चाहते हैं तथा प्रकरण निस्तारित करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। नकल प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर प्रा०पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार [illegible] [illegible] दर्ज नम्बर [illegible]
	[signature] सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.06 11:02:39 IST
Reason: SelfAttested